<u>न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद संख्या–43/2018</u>

CIS NO – 179/2018

अनसुईया देवी.....वादिनी

बनाम

काशी दूबे एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>11.01.2022</u> उभय पक्ष की पैरवी है। वादिनी की ओर से शपथ पत्र से समर्थित 3 आवेदन दिनांक 19.01.2021 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रकिया संहिता व आदेश 22 नियम 9 व्यवहार प्रकिया संहिता तथा दफा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत दाखिल किया गया है। इस संबंध में कई बार अवसर दिए जाने के बावजूद प्रतिवादीगण की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है जिस कारण उन्हें आज प्रत्युत्तर दाखिल किये जाने से वंचित किया जाता है।

वादिनी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या–1 काशी दूबे की मृत्यु दिनांक 27.01.2020 को हो गई है तथा वे अपने पीछे आवेदन में वर्णित व्यक्तियों को छोड़ गए हैं। अतः वादपत्र से प्रतिवादी संख्या–1 का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित किया जाय।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसका मौखिक विरोध किया गया है तथा कहा गया है कि प्रस्तुत आवेदन काफी विलंब से दाखिल किया गया है तथा मृत प्रतिवादी के विरूद्ध वाद उपसमित हो गया है। अतः वादिनी का आवेदन खारिज होने योग्य है।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–1 की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते हैं। प्रस्तुत आवेदन इनके द्वारा विलंब से दाखिल किया गया है, किन्तु विलंब को माफ करने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत भी आवेदन दिया गया है। ऐसी दशा में न्याय हित में विलंब को माफ करते हुए वादिनी द्वारा दाखिल आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी संख्या–1 का नाम कलमजद कर उसके स्थान पर आवेदन में वर्णित उसके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें। साथ ही मृत प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध यदि कोई उपसमन हुआ है तो उसे अपास्त किया जाता है। तत्पश्चात वादिनी प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वास्ते प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु अभिलेख दिनांक 17.02.2022 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश(प्रथम)